	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शामफूल / सजोड़ 2022/154	
12/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय-पक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी द्वारा आज भी जवाब पेश नहीं किया है। और समय चाहते हैं किन्तु जवाब पेश नहीं करते व अधिक समय दिये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है। केवल प्रकरण की देरी के उद्देश्य से और समय नहीं दिया जा सकता। अतः प्रतिवादी का जवाब हक बन्द किया जाता है। बाद-फा पर वकील फरीकैन की बहस सुनी गई।	
	दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये की वादग्रस्त आराजीयात ख.न. 796/297 वाके ग्राम मशरिया तह. बालसोट वादी की खातेदारी एवम् कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादी ही काश्त करता है। तथा उक्त वर्णित आराजीयात की तरमीम नक्शाशीट में भी हो रही है। प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि जिसका नं. 794/297 है, कि भी नक्शाशीट में अलग से तरमीम हो रही है वादी की उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई ताल्लुक नहीं है [illegible] फिर भी प्रतिवादीगण वादी के [illegible] रिश्तेदार हैं [illegible] काश्त व [illegible] करते हैं तथा आये दिन [illegible] लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू रहते हैं।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 16:13:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामफूल / कजोड़ वाद – 2022/154	
	अतः प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से इस आशय से प्रतिबन्धित किया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 796/297 रकबा 0.1012 हैक्टर वाके ग्राम महारिया तहसील लालसोट जो प्रार्थी / वादी की खातेदारी एवम् कब्जे-काश्त की भूमि है से प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने रिश्तेदारो, एजेन्टो के मार्फत से कोई रुकावट या बाधा पैदा नही करे। तथा प्रतिवादीगण जबरन छप्पर पोश इत्यादि डालकर कोई निर्माण कार्य नही करे साथ ही प्रतिवादी संख्या-5 तरमीम को रद्दो बदल नही करे। वकील प्रतिवादी ने आदेश नही नही किये जाने का निवेदन किया तथा तरमीम का विवाद होने के तर्क पेश किये। हमने विद्वान अधिवक्ता उभय-पक्ष की बहस पर गौर फरमाया। वकील वादी ने पत्रावली [illegible] उपल[illegible] [illegible] दस्तावेजो को एग्जीबिट [illegible] / [illegible] साक्ष्य सबूत पेश नही [illegible] / दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संवत 2079 व नक्शा ख.न. 796/297 व जमाबंदी संवत 2079 ख.न. 799/297 व नक्शा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 15:13:40 IST
Reason: SelfAttested

रामफूल बनाम कजोड़
वाद - 2022/154

आगे तो भी पत्रावली किया गया। प्रस्तुत साक्ष्यो का अवलोकन किया गया। पर्दश 1 व 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी ख.न. 796/297 का खातेदार है, जिसकी अलग से पुख्ता तरमीम हो रखी है। प्रस्तुत साक्ष्य वादी के अभिवचन एवं वकील वादी के अभिवाको की पुष्टि करते है कि प्रतिवादी का उक्त भूमि से कोई ताल्लुक नही है चूंकि प्रतिवादी कजोड़ की खातेदारी की भूमि ख.न. 794/297 रकबा 7 बिस्वा अलग है जिसकी पुख्ता तरमीम हो रखी है। दोनो नम्बरो के बीच मे एक अलग नम्बर ख.न. 795/297 आता है जिससे यह बात स्पष्ट है कि दोनो विवादित खसरो को लेकर तरमीम का विवाद उठना सम्भव नही है प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही किया है ना ही अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा ऐसे कोई अभिवाक या साक्ष्य, सबूत पेश किये है जिससे वादी के कथनो का खण्डन किया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के अलग-2 खातेदार होने एवं दोनो नम्बरो की अलग-अलग तरमीम होने के कारण वादी के। [illegible] दखल देना [illegible] वादी का [illegible] जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी ख.न. 796/297 वाके ग्राम महारिया के कब्जे काश्त मे प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से दखल अंदाजी न करने हेतु स्थायी रूप से पाबन्द किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 16:13:40 IST
Reason: SelfAttested